प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड,श्रीनगर गढ़वाल

अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टियां ।

(Particulars of recipients of concessions, permits or authorizations granted by it.)

निदेशालय द्वारा उत्तराखंड राज्य में तीन वर्षीय (02 वर्षीय डिप्लोमा इन फार्मेसी, मार्डन आफिस मैंनेजमेंट एंड सैक्रेटियल प्रक्टिस, पी0जी0डी0सी0ए0 पाठ्क्रम को सम्मिलित करते हुए) डिप्लोमा स्तरीय संस्थायें प्रारम्भ करने, पूर्व स्थापित संस्थाओं में नये–नये पाठ्यक्रम प्रारम्भ करना एवं प्रवेश क्षमता में परिर्वतन तथा प्रदत्त अनुमोदन को यथावत् बढ़ाये जाने की निति एवं प्रक्रिया का निर्धारण किया जाता है। इसके साथ ही उक्त से संबधित उत्तरॉचल शासन द्वारा ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की मान्यता आदि के संबध में राज्य स्तरीय समिति का गठन किया जा चुका है । उक्त से संबंधित शासनादेश संख्या संख्या–526/XXIV(8)/2005–59/2004 दिनांक 19–7–2005 संलग्नक– 01 के रूप में संलग्न किया जा रहा है ।

महत्वपूर्ण

संख्या–526 / XXIV (8) / 2005–59 / 2004

प्रेषक,

एम.रामचन्द्रन,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तरॉचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्राविधिक शिक्षा,उत्तरॉचल,
श्रीनगर गढ़वांल

शिक्षा अनुभाग–8 (तकनीकी) देहरादूनः दिनॉकः 19 जुलाई, 2005

विषयः उत्तरॉचल राज्य में तीन वर्षीय (02 वर्षीय डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम को सम्मिलित करते हुये) डिप्लोमा स्तरीय संस्थायें प्रारम्भ करने, पूर्व स्थापित संस्थाओं में नये प्रवेश क्षमता में परिवर्तन तथा प्रदत्त अनुमोदन को यथावत बढ़ाये जाने की नीति एवं प्रक्रिया का निर्धारण।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या–2563 / नि.प्रा.शि. / नये.पाली. / 2004–2005 दिनॉकः 8.12.2004 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

(2)– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके सन्दर्भित पत्र दिनॉकः 8.12.2004 द्वारा उत्तरॉचल राज्य में तीन वर्षीय डिप्लोमा स्तरीय संस्थायें खोलने आदि के संबंध में प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव ण्वं संस्तुति पर सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल उत्तरॉचल राज्य में तीन वर्षीय (02 वर्षीय डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम को सम्मिलित करते हुए) डिप्लोमा स्तरीय संस्थायें प्रारम्भ करने, पूर्व स्थापित संस्थाओं में नये पाठ्यक्रम प्रारम्भ करना एवं प्रवेश क्षमता में परिर्वतन तथा प्रदत्त अनुमोदन को यथावत बढाये जाने आदि के संबंध में निम्नानुसार नीति एवं प्रक्रिया को निर्धारित कर प्रख्यापित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

(क) निम्नलिखित कार्य राज्य स्तर पर सम्पन्न किये जायेंगेः–

1. ए0आई0सी0टी0ई0 दिशा–निर्देशों के अनुसार राज्य स्तरीय समिति का गठन।
2. ए0आई0सी0टी0ई0 मानकों को पूर्ण करने वाले आवेदकों को इच्छा पत्र (Letter of Intent) निर्गत किया जाना।
3. आवेदक संस्थाओं से ए0आई0सी0टी0ई0 दिशा–निर्देशों के अनुसार निरीक्षण शुल्क प्राप्त कर संस्थाओं का निरीक्षण किया जाना।
4. आवेदक संस्थाओं का निरीक्षण समिति गठित कर निरीक्षण कराया जाना।

5. निरीक्षण समिति की रिपोर्ट को राज्य स्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुत करना तथा राज्य स्तरीय समिति की बैठक के निर्णय से राज्य सरकार तथा क्षेत्रीय कार्यालय, ए0आई0सी0टी0ई0 को अवगत कराया जाना।
6. राज्य स्तरीय समिति के निर्णय के अनुसार क्षेत्रीय कार्यालय, ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा सचिव, तकनीकी शिक्षा/आवेदक संस्थाओं को Letter of Approval निर्गत किया जाना।
7. स्ववित्त पोषित संस्थाओं के द्वारा संयुक्त एफ0डी0आर0 किये जाने के सम्बन्ध में Competent Authority Designate किया जाना।

(ख) नीति के प्रभाव क्षेत्र एवं इसके अन्तर्गत पात्रताः–

1. इस नीति के अन्तर्गत राजकीय/राज्य सरकार द्वारा अनुदानित एवं निजी क्षेत्र में पालीटेकनिक संस्थायें खोली जा सकेंगी।
2. निजी क्षेत्र में कोई भी ऐसी सोसायटी/ट्रस्ट भी संस्था खोल सकेगी जो कि नियमानुसार पंजीकृत हों।
3. इस नीति के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्यो को सम्पादित करने के लिए कार्यवाही की जा सकेगीः–
   1. नई संस्था का खोला जाना।
   2. पूर्व में स्थापित पुरानी संस्थाओं में नवीन पाठ्क्रमों का संचालन।
   3. पूर्व में स्थापित संस्था में चल रहे पाठ्यक्रम की प्रवेश क्षमता में अभिवृद्धि किया जाना ।
4. डिप्लोमा स्तरीय संस्थाओं से सम्पादित जो इस नीति के प्राविधानों से आच्छादि होते हों।

(3)– यह नवीन नीति आदेश जारी होने के दिनॉक से अर्थात तात्कालिक प्रभाव से लागू होगी।

(ग) पाठ्यक्रमों का विवरण।

1. इस नीति के अन्तर्गत ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा अनुमोदित डिप्लोमा पाठ्यक्रमों को जिनकी सूची इस शासनादेश के **परिशिष्ट–1** पर दृष्टव्य है, प्रारम्भ किया जायेगा तथा इसमें न्यूनतम प्रवेश अर्हता **परिशिष्ट–2** के अनुसार होगी। इस सुची में अंकित पाठ्क्रमों के अतिरिक्त ऐसे पाठ्यक्रमों को भी उत्तरॉचल सरकार की स्वीकृति एवं ए0आई0सी0टी0ई0 के अनुमोदन से प्रारम्भ किया जा सकेगा, जो कि समय की मॉग के अनुरूप अद्यतन एवं रोजगारपरक भी हों। पूर्व में स्थापित संस्थाओं में पाठ्यक्रमों के समय–समय पर आवश्यकता के अनुसार परिर्वतन निर्धारित विधि एवं प्रक्रिया का अनुपालन करते हुये ए0आई0सी0टी0ई0 के पूर्व अनुमोदन एवं उत्तरांचल शासन की सहमति से ही किया जा सकेगा ।

2. ऐसे डिप्लोमा पाठ्यक्रम, जो तीन वर्षीय है, उनको प्रारम्भ करने के पूर्व ए0आई0सी0टी0ई0 का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया जाना विधिक रूप से अनिवार्य होगा, परन्तु "डिप्लोमा इन फार्मेसी" जो कि दो वर्षीय पाठ्यक्रम हैं, को प्रारम्भ करने हेतु ए0आई0सी0टी0ई0, फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया जाना विधिक रूप से अनिवार्य होगा । यदि डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम को चालू करने से पूर्व उक्त संस्था का पूर्व अनुमोदन प्राप्त नहीं हो जाता है तो निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तरांचल ऐसी संस्था को डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम को संचालित करने हेतु उत्तरांचल प्राविधिक शिक्षा परिषद से किसी भी दशा में एम्बद्धता भी प्रदान नहीं करेंगे । पुनः स्पष्ट किया जाता है कि डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम बिना ए0आई0सी0टी0ई0, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली के पूर्व अनुमोदन के संचालित करती है तो इस पाठ्यक्रम के संचालन के संबध में यह संस्था अवैध मानी जायेगी तथा विधि की दृष्टि में इन पाठ्यक्रमों के संबध में उकसा कोई विधिक अस्तित्व नहीं होगा ।

(घ) नई संस्था खोलने की प्रक्रिया।

नवीन डिप्लोमा स्तरीय संस्था को खोलने हेतु आवेदन पत्र निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तरांचल श्रीनगर (गढ़वाल), संयुक्त सचिव, उत्तरांचल प्राविधिक शिक्षा परिषद, रूड़की एवं निदेशालय कैम्प कार्यालय – देहरादून से प्राप्त किये जा सकेंगे । आवेदन पत्र प्राप्त करने के लिये रू0 5000/– (रूपये पांच हजार मात्र) (केवाल निजी क्षेत्र में स्थापित की जानी वाली संस्थाओं हेतु) का बैंक ड्राफ्ट जो कि संयुक्त सचिव, उत्तरांचल प्राविधिक शिक्षा परिषद, रूड़की के पक्ष में देय होगा जमा करना होगा । आवेदक द्वारा आवेदन पत्र को भरकर उसे निर्धारित अवधि के अन्दर निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तरांचल के कार्यालय में जमा किया जायेगा ।

(सचिव, उत्तरांचल प्राविधिक शिक्षा परिषद पर नियुक्ति होने के उपरान्त Competent Authority सचिव, उत्तरांचल प्राविधिक शिक्षा परिषद स्वतः हो जायेंगे ।)

आवेदन पत्र को पूर्ण रूप से भरकर आवेदन पत्र में निर्देशित एवं चेक लिस्ट में दर्शाये गये सभी संलग्नकों सहित निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तरांचल को प्रेषित करना होगा । उसके साथ तीन छायाप्रतियां भी संभी संलग्नकों सहित अर्थात् कुल चार प्रतियां निदेशालय में प्रेषित करनी होंगी । साथ ही आवेदन पत्र की प्रतियां क्षेत्रीय कार्यालय, ए0आई0सी0टी0ई0, कानपुर एवं संयुक्त सचिव, उत्तरांचल प्राविधिक शिक्षा परिषद, रूड़की को भी प्रेषित की जानी होंगी (डी0फार्मा संस्था प्रारम्भ करने हेतु फार्मेसी काउंसिल ऑफ इण्डिया नई दिल्ली के निदेशा–निर्देशों के अनुसार आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाना होगा)। आवेदन पत्र का प्रारूप प्राप्त करने एवं जमा किये जाने की अंकित तिथियों की सूचना विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचारित/प्रसारित की जायेगी । निदेशक जनहित में एवं आवश्यकता के अनुसार आवेदन पत्र प्राप्त करने एवं उसे जमा करने के संबध में उर्पयुक्त निर्धारित तिथियों में उचित परिर्वतन भी कर सकेंगे ।

(ड़) राजकीय डिप्लोमा स्तरीय संस्थायें तथा सरकार द्वारा सहायता प्राप्त डिप्लोमा स्तरीय संस्थायें :–

राजकीय संस्थायें तथा सरकार द्वारा सहायता प्राप्त अनुदानित संस्थायें निर्धारित विधि एवं प्रक्रिया का अनुपालन करके निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तरांचल की संस्तुति के आधार पर उत्तरांचल सरकार की सहमति के उपरांत प्रारम्भ की जायेंगी ।

(च) निजी क्षेत्र की डिप्लोमा स्तरीय संस्था खोलने आदि के संबध में :–

1. भूमि एवं धरोहर धनराशि तथा निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क की व्यवस्था आवेदक (केवल निजी क्षेत्र में स्थापित की जाने वाली संस्थाओं हेतु) को शासनादेश के परिशिष्ट–3 में अंकित विवरण के अनुसार अनिवार्य रूप से करनी होगी । प्रथम दृष्टया प्रस्ताव ठीक पाये जाने पर परिशिष्ट–3 में अंकित की गयी धरोहर धनराशि संयुक्त सचिव, उत्तरांचल प्राविधिक शिक्षा परिषद, रूड़की के पास बन्धक रखनी होगी । आवेदन को निरीक्षण एवं समबद्धता शुल्क का बैंक ड्राफ्ट भी परिशिष्ट–3 के अनुसार संयुक्त सचिव, उत्तरांचल प्राविधिक शिक्षा, परिषद, रूड़की के पक्ष में जमा करना होगा ।
2. प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए भवन, उपकरणों, पुस्तकों एवं स्टाफ आदि के मानक ए0आई0सी0टी0ई0 के द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप ही होने चाहिए । आवेदक को नयी संस्था खोलने एवं नया पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने से पूर्व निर्धारित मानकों के अनुसार ही समस्त व्यवस्थायें अनिवार्य रूप से पूर्ण करनी होगी ।
3. उत्तरांचल शासन द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत कर देने एवं ए0आई0सी0टी0ई0 से अनुमति प्राप्त हो जाने के पश्चात निजी क्षेत्र की संबधित डिप्लोमा स्तरीय संस्था को उत्तरांचल प्राविधिक शिक्षा परिषद रूड़की से सम्बद्धता प्राप्त करना विधिक रूप से अनिवार्य होगा तथा किसी निजी क्षेत्र में स्थापित डिप्लोमा स्तरीय संस्था को स्वयं अपने छात्रों की परीक्षा लेने एवं डिप्लोमा प्रदान करने का अधिकार नहीं होगा। उत्तरांचल प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्धता प्राप्त कर लेने के पश्चात ही संस्था को विधिक व्यक्तिव प्राप्त होगा और उसके विधिक कर्त्तव्य, दायित्व एवं अधिकार होंगे परन्तु इन निजी क्षेत्र में स्थापित डिप्लोमा स्तरीय संस्थाओं पर सचिव, उत्तरांचल प्राविधिक शिक्षा परिषद तथा निदेशक, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, उत्तरांचल तथा उत्तरांचल शासन का प्रशासनि नियंत्रण होगा ।
4. उत्तरांचल प्राविधिक शिक्षा परिषद, रूड़की से समबद्धता प्राप्त हो जाने के पश्चात निजी क्षेत्र में स्थापित संस्थाओं को उत्तरांचल सरकार द्वारा गठित शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारत शुल्क ही छात्रों से लेना होगा । यदि कोई संस्था निर्धारित शुल्क सेक अधिक शुल्क छात्रों से लेगी तो यह उत्तरांचल सरकार के आदेशों का जानबूझकर उल्लघंन समझा जायेगा एवं ऐसी संस्था को अपना लिखित एवं मौखिक पक्ष प्रस्तुत करने का युक्ति–युक्त एवं पर्याप्त अवसर प्रदान करके उसके विरूद्ध नियमानुसार सुसंगत विधि के अन्तर्गत शासन द्वारा दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी ।

5. उपरोक्तानुसार समस्त कार्यवाहियां शासनादेश के परिशिष्ट –4 पर समय सारणी के अनुसार निष्पादित की जायेंगी, परन्तु विशिष्ट परिस्थियों में निदेशक अपने विवेक का न्यायिक प्रयोग करते हुये इसमें युक्ति–युक्त शिथिलता प्रदान कर सकेंगे ।

(छ) उत्तरांचल सरकार से अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त किये जाने के संबध में कार्यवाही :

नवीन संस्था की स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त किये जाने की कार्यवाही निम्नवत् की जायेगी :–

1. सर्वप्रथम अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए आवेदक को समय–सारणी के अनुसार समस्त संलग्नकों सहित आवेदन पत्र निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तरांचल को प्रस्तुत करना होगा । तदोपरान्त निदेशक, प्राविधिक शिक्षा द्वारा गठित समिति उपरोक्त आवेदन पत्रों का परीक्षण करेगी तथा संस्था का निरीक्षण कर गुण–दोष के आधार पर अपनी संस्तुति निदेशक, प्राविधिक शिक्षा को प्रस्तुत करेंगी । निदेशक, प्राविधिक शिक्षा नवीन डिप्लोमा स्तरीय संस्था को खोलने हेतु समिति की उक्त संस्तुति उत्तरांचल शासन को अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु प्रेषित करेंगे ।
2. निदेंशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तरांचल की संस्तुति का गुणदोष के आधार पर एवं निर्णय लेकर उत्तरांचल शासन द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेगा ।
3. उत्तरांचल शासन द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत कर दिये जाने के पश्चात् निदेशक, प्राविधिक शिक्षा द्वारा संबधित संस्था को Letter of Intent(इच्छा पत्र) जारी किया जायेगा । इस पत्र द्वारा संस्था को निर्देशित किया जायेगा कि वह आवश्यक धरोहर धनराशि जमा करें तथा भवन, उपकरणों एवं पुस्तकों आदि की व्यवस्था करें । जब संस्था समस्त व्यवस्था पूर्ण कर लेंगी तब वह निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क का बैंक ड्राफ्ट संयुक्त सचिव, उत्तरांचल प्राविधिक शिक्षा परिषद के पक्ष में बनवाकर जो रूड़की में देय होगा जमा करेगी ।

यदि निदेशक, प्राविधिक शिक्षा उत्तरांचल द्वारा संबंधित संस्था को Letter of intent जारी नहीं किया जाता है तो संस्था को निदेशक के इस निर्णय के विरूद्ध निर्धारित अंतिम तिथि के अंदर प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तरांचल शासन में समस्त तथ्यों के साथ अपील प्रस्तुत करने का अधिकार होगा । प्रमुख सचिव, सचिव तकनीकी शिक्षा, उत्तरांचल शासन अपील पर विचार करेंगे । Letter of intent निर्गत करने के संबंध में उत्तरांचल शासन द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि तक निर्णय ले लिया जायेगा । यदि संस्था के पक्ष में Letter of intent निर्गत किये जाने का निर्णय लिया जाता है तो संबंधित संस्था को उपरोक्तानुसार कार्यवाही/धरोहर धनराशि/निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क उत्तरांचल प्राविधिक ाक्षा परिषद को निर्धारित तिथि से पूर्व जमा करना होगा।

4. तदोपरांत निदेशक, प्राविधिक शिक्षा के आदेश पर निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति संस्था को निरीक्षण करेगी एवं अपनी संस्तुति निदेशक प्राविधिक शिक्षा, उत्तरांचल

को प्रस्तुत करेंगी तथा निदेशक प्राविधिक शिक्षा उसे राज्य स्तरीय समिति के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करेंगे ।

5. प्रमुख सचिव/सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तरांचल शासन की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति अपनी संस्तुति उत्तर क्षेत्रीय अधिकारी, ए0आई0सी0टी0ई0 कानपुर को अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करेगी, जिसके आधार पर ए0आई0सी0टी0ई0 संस्था को खेले जाने के संबंध में अपना अनुंमोदन प्रदान करेगी ।

6. उपरोक्तानुसार समस्त कार्यवाहियां पूर्ण हो जाने पर संयुक्त सचिव, उत्तरांचल प्राविधिक शिक्षा परिषद, रूड़की द्वारा अध्यक्ष, उत्तरांचल प्राविधिक शिक्षा परिषद से समबद्धता प्रदान की जायेगी । उत्तरांचल प्राविधिक शिक्षा परिषद से समबद्धता प्राप्त हो जाने के प्श्चात ही संस्था को वैधता एवं विधिक व्यक्तित्व प्राप्त हो सकेगा ।

7. उत्तरांचल प्राविधिक शिक्षापरिषद रूड़की से सम्बद्धता प्राप्त हो जाने के उपरांत परिषद द्वारा सम्पादित संयुकत प्रवेष परीखा– पालीटेक्निकक्स के माध्यम से ही छात्र–छात्राओं को निजी डिप्लोमा स्तरीय संस्थाओं में प्रवेष दिये जायेगें ं ।

(ज) पूर्व स्थापित पुरानी संस्थाओं में नया पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु :– संस्था द्वारा आवेदन पत्र जमा करने की कार्यवाही उसी प्रकार करनी होगी जैसे कि नयी संस्था प्रांरभ करने हेतु उपर निर्धारित है । निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति इस दृष्टि से निरीक्षण करेगी कि संस्था ने क्या अरिक्त व्यवस्था कर ली है, चलाये जा रहे पाठ्यक्रमों में छात्रों के उत्तम शिक्षण एवं प्रशिक्षण की क्या–क्या व्यवस्था की गयी है तथा अध्ययनरत छात्रो/छात्राओं के परीक्षा के परिणाम का स्तर कैसा रहा है या है ? संस्था ने छात्र/छात्राओं के सेवायोजन की संभावनाओं को तलाशा है तथा संस्था में कैम्पस इंटरव्यू कराया जाता है अविा नहीं ? समिति यह भी देखेगी कि संस्था के पास योग्य स्टाफ एवं एक्सपर्ट फैकल्टी समुचित मात्रा में उपलब्ध है अथवा नहीं ? निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति की आख्या एवं संस्तुति का गुणदोष के आधार पर निदेशक प्रा0शि0 परिशीलन करेंगे और संस्तुति को युक्ति–युक्त पाये जाने पर नये पाठ्यक्रम को प्रारंभ करने के संबंध में निदेशक सम्पूर्ण तथ्यों से उत्तरांचल शासन को सूचित करते हुए नया पाठ्यक्रम प्रारंभ करने के संबंध में अपना प्रस्ताव उत्तरांचल शासन को प्रस्तुत करेंगे और शासन के अनापत्ति के पश्चात् प्रस्ताव राज्य स्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुत करेंगे तत्पश्चात् ए0आई0सी0टी0ई0 का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा । इसके पश्चात् ही संस्था में नया पाठ्यक्रम प्रारंभ किया जा सकेगा । इस प्रकार नये पाठ्यक्रम प्रारंभ करने के लिए उत्तरांचल शासन की अनुमति एवं ए0आई0सी0टी0ई0 एवं फार्मेसी काउंसिल आफ इंडिया, नई दिल्ली का पूर्व अनुमोदन एवं उत्तरांचल शासन की अनुमति प्राप्त किया जाना विधिक रूप से अनिवार्य होगा ।

(झ) सम्बद्ध संस्था में चल रहे पाठ्यक्रमों की प्रवेश क्षमता में वृद्धि :–

प्रवेश क्षमता में वृद्धि के लिए वही प्रक्रिया एवं कार्यवाहियां करनी होंगी जो नया पाठ्यक्रम खेलने हेतु उपर निर्धारित है शासन की अनुमति एवं ए0आई0सी0टी0ई0 के अनुमोदन से ही किसी संस्था की प्रवेश क्षमता में वृद्धि करने के पूर्व ए0आई0सी0टी0ई0 को

अनुमोदन प्रापत करने के साथ–साथ फार्मेसी काउंसिल आफ इंडिया नई दिल्ली का पूर्व अनुमोदन भी प्राप्त किया जाना विधिक रूप से अनिवार्य होगा ।

इस प्रकार किसी भी डिप्लोमा स्तरीय संस्था को अपनी स्वतंत्र इच्छा से अपनी संस्था के किसी भी पाठ्यक्रम की प्रवेश क्षमता में वृद्धि करने या उसे कम करने का अधिकार प्राप्त नहीं होगा । यदि संस्था प्रवेश क्षमता में वृद्धि करना चाहती है अथवा कम करना चाहती है तो उसे उपरोक्तानुसार कार्यवाहियां अनिवार्य रूप से पूर्ण करनी होंगी ।

यदि निजी क्षेत्र में स्थापित डिप्लोमा स्तरीय संस्था नया पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु अथवा वर्तमान में चल रहे पाठ्यक्रमों की प्रवेश क्षमता में वृद्धि आदि करना चाहती है तो उसे निर्धारित प्रारूप पर आवेदन प्रस्तुत करना होगा, साथ ही रू0 10000.00 (रूप्ये दस हजार मात्र) का बैंक ड्राफ्ट संयुक्त सचिवख, उत्तराचं प्राविधिक शिक्षा परिषद रूड़की के नाम से आवेदन पत्र के साथ प्रोसेसिंग शुल्क के रूप में जमा करना होगा ।

(य) पुरानी संस्था का अनुमोदन यथावत् बढ़ाये जाने हेतु :–

संस्था में शिक्षण एवं प्रशिक्षण की गुणवत्ता उत्कृष्ट कोटि की बनाये रखने हेतु यह आवश्यक है कि प्राविधिक शिक्षा विभाग की निरीक्षण एवं समबद्धता समिति प्रत्येक संस्था का बिना किसी चूक एवं विचलन के तीन वर्ष में कम से कम एक बार निरीक्षण अनिवार्य रूप से करें । प्रत्येक निरीक्षण के लिए संस्था को निर्धारित शुल्क भी जमा करना होगा ।

निजि क्षेत्र में स्थापित संस्थाओं हेतु निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क प्रत्येक तीन वर्ष में एक बार रू0 20,000.00 (रूपये बीस हजार मात्र) संयुक्त सचिव, उत्तरांचल प्राविधिक शिक्षा परिषद, को अनिवार्य रूप से जमा करना होगा अन्यथा आगागी वर्षो हेतु संस्था को उत्तराचंल प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्धता प्रदान नहीं की जायेगी ।

निदेशक, प्राविधिक शिक्षा उत्तरांचल का यह विधिक कर्तव्य एवं दायित्व होगा कि वह उत्तरांचल प्राविधिक शिक्षा परिषद की निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति के माध्यम से प्रत्येक संस्थ का तीन वर्ष में कम से कम एक बार निरीक्षण अनिवार्य रू‍प से सुनिश्चित करायें । निदेषक, प्राविधिक शिक्षा शासन के निर्देश पर अथवा अपनी स्वतः प्रेरण से कभी भी एवं किसी समय उत्तरांचल प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध समस्त डिप्लोमा स्तरीय संस्थाओं के कार्यकलाप के आंकलन हेतु संस्थाओं का स्वयं अाविा अपने अधीनस्थ वरिष्ठ अधिकारी के माध्यम से निरीक्षण कर सकेंगे और निरीक्षण के पश्चात् गुणदोष के आधार पर अपनी रिपोर्ट शासन को प्रस्तुत करेंगे । निदेषक की आख्या एवं संस्तुति का गुण–दोष के आधार पर परीक्षण कर एवं शासन द्वारा संस्था को सुनवाई का युक्ति–युक्त तथा पर्याप्त अवसर देकर प्रकरण में सम्यक निर्णय लिया जायेगा । शासन का उक्त निर्णय अंतिम होगा ।

(त) वित्तीय प्रबन्धनः–

आवेदन पत्र एवं निरीक्षण शुल्क आदि से प्राप्त धनराशि संयुक्त सचिव, उत्तरांचल प्रा0शि0 परिषद रूड़की इस कार्य हेतु प्रथकतः रूप से खोले गये चालू बेंक खते में जमा करेंगे । इस धनराशि में से निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति के सदसयों द्वारा संसथाओं के निरीखण हेतु की जाने वाली यात्राओं आदि पर आने वाला यात्रा भत्ता तथा

अन्य अनुशांगिक व्यय इत्यादि के भुगतान के कार्यवाही संयुक्त सचिव, प्रा0शि0 परिषद रूड़की द्वारा निदेशक प्रा0शि0, उत्तरांचल की स्वीकृति पर की जायेगी ।

(थ) अन्य विविध उपबंध :–

1. यदि संस्था द्वारा उत्तरांचल शासन के निर्देशों/आदेशों/नियमों/अधिनियमों तथा उत्तरांचल प्राविधि शिक्षा परिषद रूड़की एवं निदेषक प्राविधिक शिक्षा के आदेशों /नियमों/विनियमों/निर्णयों आदि का पालन नहीं किया जाता है अथवा संस्था में शिक्षण एवं प्रशिक्षण की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं पायी जाती है तो निदेशक, प्रा0शि0 की संस्तुति पर शासन द्वारा दिये गये अनापत्ति प्रमाण पत्र को वापस लेने के पूर्व शासन संबंधित संस्था को अपना पक्ष में प्रस्तुत करने का युक्तियुक्त एवं पर्याप्त अवसर प्रदान करेगा । शासन द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस लने पर ऐसी संस्था की उत्तरांचल प्रा0शि0 परिषद रूड़की से सम्बद्धता स्वतः समाप्त हो जायेगी, परंतु संयुक्त सचिव, उत्तरांचल प्रा0शि0 परिषद रूड़की को भी इस संबंध में अपने स्तर से एक आदेष संबंधित संस्था को निर्गत करेंगें ।
2. राजकीय/शासन द्वारा अनुदानित एवं निजी क्षेत्रों में स्थापित डिप्लोमा स्तरीय संस्थाओं में प्रवेश उत्तरांचल प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा आयोजित संयुक्त प्रवेश परीक्षा–पालीटेक्निकस के माध्यम से ही किये जायेंगे एवं अध्ययनरत छात्रों/छात्राओं की परीक्षा उत्तरांचल प्रा0शि0 परिषद द्वारा ली जायेगी तथा उत्तीर्ण छात्रों/छात्राओं को उत्तरांचल प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा ही डिप्लोमा प्रदान किया जायेगा ।
3. उत्तरांचल प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध समस्त डिप्लोमा स्तरीय संस्था को स्वयं दात्रों को प्रवेश देने, उनकी परीक्षा लेने एवं उन्हें डिप्लोमा प्रमाण पत्र देने की स्वायत्ता एवं अधिकार किसी भी दशा में प्राप्त नहीं होगा । यह समस्त अधिकार जैसा कि उपर स्पष्ट किया जा चुका है उत्तांचल प्राविधिक शिक्षा परिषद रूडकी में ही निहित होगा ।
4. उत्तरांचल प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध समस्त डिप्लोमा स्तरीय संस्थायें परिषद के अधिनियम व इसमें समय–समय पर किये गये संशोधनों में अंकित विधिक प्राविधानों का पालन करने के लिए विधिक रूप से बाध्य होंगीं ।
5. निजी क्षेत्र में खुलने वाली डिप्लोमा स्तरीय संस्थाओं को उत्तरांचल प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्धता प्रदान करने के पूर्व संयुक्त सचिव, उत्तरांचल प्राविधिक शिक्षा परिषद नोटरी के शपथ पत्र पर संस्था से यह प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से लेंगे कि वह समबद्धता प्राप्त होने के दिनांक से शासन के शासनादेशों, निदेशकों, प्राविधिक शिक्षा के आदेशों एवं संयुक्त सचिव, उत्तरांचल प्राविधिक शिक्षा परिषद के समस्त आदेशों/निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगी और विचलन की दशा में उनके विरूद्ध उपरांत शासन/निदेशक, प्राविधिक शिक्षा उत्तराचंल के सुसंगत नियम/विधि/शासनादेशों के अंतर्गत नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही कर सकेंगे ।
6. प्रदेश में खुलने वाली ऐसी डिप्लोमा स्तीरय संस्थायें जो कि उत्तरांचल प्राविधिक शिक्षा परिषद रूड़की से नियमानुसार सम्बद्ध नहीं हैं और उसे खोलने या चलाने

हेतु उनके पास विधिक रूप स भारत सरकार या उसके किसी वैध, सक्षम एवं प्राधिकृत संस्थान/प्राधिकारी से नियमानुसार सार्टिफिकेट/अनुमति आदि प्राप्त नहीं हैं, ऐसी संस्थायें अवैध संस्थायें मानी जायेगी तथा ऐसी अवैध संस्थाओं के विरूद्ध निदेशक, प्रा0शि0 की आख्या एवं संस्तुति पर उत्तराचंल शासन द्वारा सुसंगत विधि के अंतर्गत सम्यक दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी परंतु दण्डात्मक कार्यवाही करने के पूर्व संबंधित संस्था को भी अपना पक्ष प्रस्तुत करने का युक्तियुक्त एवं पर्याप्त अवसर प्रदान किया जायेगा और तदोपरांत गुणदोष के आधार पर निर्णय लिया जायेगा ।

7. उपरोक्त के अतिरिक्त यदि इस नीति के विषय से संबंधित कोई ऐसा विचारणीय बिन्दु उद्भूत होता है जो कि इस नीति के प्राविधानों में सम्मिलित नहीं किया गया है तो उसके संबंध में निदेशक, प्राविधिक शिक्षा उततरांचल शासन को ऐसे संसुगत तथ्यों से अवगत करायेंगे और उसके संबंध में शासन का निर्णय अंतिम होगा ।

8. संस्था को निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तरांचल के किसी भी निर्णय/आदेषों के विरूद्ध उसके पारित होने के दिनांक से 30 दिन के अंदर प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तरांचल शासन में अपील प्रस्तुत करने का अधिकारहोगा और यदि शासन गुणदोष के आधार पर सुनवाई करके उसे संस्था के विरूद्ध निर्णित करता है तो संस्था को 30 दिन के अंदर विधि या तथ्य की तात्विक त्रुटि के आधार पर शासन में पुनः संस्था को अपना लिखित एवं मौखिक पक्ष प्रस्तुत करने का युक्ति युक्त एवं पर्याप्त अवसर देकर गुण दोष के आधार पर पुर्नविलोकन प्रार्थना पत्र/मैमोरियल शासन स्तर पर विचारण एवं निर्णय हेतु ग्राह्य नहीं होगा ।

9. उपरोक्त निर्धारित प्राविधानों, उत्तरांचल प्राविधिक शिक्षा परिषद के अधिनियम एवं इसमें समय–समय पर किये गये संशोधन में अंकित प्राविधानों में यदि कोई विरोधाभाष उद्भूत होता है तो उत्तरांचल प्राविधिक शिक्षा परिषद के वर्तमान नियम/प्राविधान जो भी लागू हैं, अधिभावी एवं मान्य होंगे।

10. डिप्लोमा स्तरीय अभियंत्रण संस्थाओं एवं डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठयक्रम को संचालित करने के संबंध में भूमि, धरोहर धनराशि एवं निरीक्षण शुल्क के संबंध में समय–समय पर ए0आई0सी0टी0ई0 एवं फार्मेसी काउंसिल आफ इंडिया द्वारा जो मानक निर्धारित किये जाएंगे वे उत्तरांचल राज्य की समस्त डिप्लोमा स्तरीय संस्थाओं पर पूर्णतया लागू होंगे ।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार (04)

भवदीय,
ह0/–
(एम0रामचन्द्रन)
अपर मुख्य सचिव ।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव उत्तरांचल शासन ।

2. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन ।
3. निजी सचिव, मा0 तकनीकी शिक्षा मंत्री उत्तरांचल ।
4. अध्यक्ष एवं सचिव, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय नवाबगंज, कानपुर ।
6. अध्यक्ष/सचिव, फार्मेसी काउंसिल आफ इण्डिया, नई दिल्ली ।
7. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय रूड़की को साधारण गजट में प्रकाशित किये जाने हेतु ।
8. संयुक्त सचिव, उत्तरांचल प्राविधिक शिक्षा परिषद, रूड़की ।
9. समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय पालीटेक्निक/अनुदानित पालीटेक्निक/निजी पालीटेक्निक को निदेषक प्राविधिक शिक्षा उत्तरांचल के माध्यम से सूचनार्थ ।
10. गार्ड फाइल ।

शासनादेश संख्या 526/xxiv(8)/2005-59/2004 दिनांक का

परिशिष्ट–1

ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा परिभाषित पाठ्यक्रमों की सूची

1. इंजीनियरिंग एण्ड टैक्नोलाजी पाठयक्रम

- एरोनाटिकल इंजीनियरिंग
- एग्रीकल्चल इंजीनियरिंग
- आटोमोबाइल इंजीनियरिंग
- एप्लाइड इलैक्ट्रानिक्स एण्ड इस्ट्रूमेंटेशन
- आटोमेशन एण्ड रोबाटिक्स
- बायो–मेडिकल इंजीनियरिंग
- बायोटेक्नोलाजी
- सेरामिक इंजीनियरिंग/टैक्नोलाजी
- कैमिकल इंजीनियरिंग
- सिविल इंजीनियरिंग
- कम्प्यूटर साइंस एण्ड इंजीनियरिंग
- इलेक्ट्रिकल एण्ड इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग
- इलेक्ट्रानिक्स एण्ड कम्यूनिकेशन इंजीनियरिंग
- इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग

- फूट टैक्नोलाजी
- इण्डस्ट्रियल इंजीनियरिंग एण्ड मैंनेजमेंट
- इंफारमेशन टेक्नोलाजी
- इस्ट्रूमेंटेशन एण्ड कंट्रोल इंजीनियरिंग
- लैदर टैक्नोलाजी
- मैरिन इंजीनियरिंग
- मैटिरियल साइंस एण्ड टैक्नोलाजी
- मैटलरिजिकल इंजीनियरिंग
- मैकेनिकल इंजीनियरिंग
- माइनिंग इंजीनियरिंग
- आयर एण्ड पेंट टैक्नोलाजी
- पालीमर साइंस एण्ड रबर टैक्नोलाजी
- प्रिंटिंग टैक्नोलाजी
- प्रोडक्शन इंजीनियरिंग
- पल्प एण्ड पेपर टैक्नोलाजी
- शुगर टैक्नोलाजी
- टैक्सटाइल इंजीनियरिंग/टैक्नोलाजी
- ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग

1. **फार्मेसी ।**

2- **आर्किटेक्चर एण्ड टाउन प्लानिंग ।**

- आर्किटेक्चर ।
- इंटीरियल डिजाइन ।
- बिल्डिंग कंसट्रक्शन टैक्नोलाजी ।
- प्लानिंग ।
- होटल मैनेजमेंट एण्ड कैटरिंग टैक्नोलाजी ।

3- एप्लाइड आटर्स एण्ड क्राफ्ट्स

- एप्लाइड आटर्स एण्ड प्रोडक्ट डिजाइन ।
- फाइन आर्टस /एप्लाइड आटर्स/फाइन एण्ड एप्लाइड आर्ट्स ।
- फैशन एण्ड एपैरल डिजाइन ।

(संजीव कुमार शर्मा)
अनुसचिव ।

शासनादेश संख्या 526/xxiv(8)/2005-59/2004 दिनांक का

परिशिष्ट–2

डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की अवधि एवं न्यूनतम प्रवेश अर्हता ।

क्रम संख्या	पाठ्यक्रम	न्यूनतम प्रवेश अर्हता	अवधि(वर्ष पूर्णकालिक)
1	डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग एण्ड टैक्नोलाजी	10+	3
2	पोस्ट डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग एण्ड टैक्नोलाजी	डिप्लोमा इन इंजी0/टैक्नोलाजी	1.5
3	एडवांस डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग एण्ड टैक्नोलाजी।	डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग/टैक्नोलाजी	2
4	डिप्लोमा आर्किटैक्चरल अस्टिेंटशिप	10+	3
5	डिप्लोमा इन फार्मेसी	10 + 2	2
6	डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट एण्ड कैटरिंग टैक्नोलाजी	10 + 2	3

(संजीव कुमार शर्मा)
अनुसचिव ।

शासनादेश संख्या 526/xxiv(8)/2005-59/2004 दिनांक का

परिशिष्ट–3

भूमि धरोहर धनराशि एवं निरीक्षण शुल्क का विवरण ।

क्रम संख्या	पाठ्यक्रम	न्यूनतम भूमि की आवश्यकता(एकड़ में)		धरोहर धनराशि	निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क (कम से कम प्रत्येक तीन वर्ष में एक बार)
		मेट्रो सीटी/ राजधानी	अन्य स्थानों में ।		
1	इंजीनियरिंग एण्ड टैक्नोलाजी	5.0*	10.0	20.00 लाख	20 हजार
2	फार्मेसी	0.5	2.5	20.00 लाख	20 हजार
3	होटल मैंनेजमेंट एण्ड कैटरिंग टैक्नोलाजी डिप्लोमा स्तर डिग्री स्तर	0.5 0.5	1.5 2.5	20.00 लाख 20.00 लाख	20 हजार 20 हजार
4	आर्किटैक्चर	2.0	5.0	20.00 लाख	20 हजार
5	एप्लाइड आर्ट एण्ड क्राफ्ट	0.5	1.5	20.00 लाख	20 हजार

* भूमि के दो टुकड़े से ज्यादा में नहीं होने चाहिए ।

भवनों के मानक ।

संस्था हेतु विभिन्न भवनों जैसे– प्रशासनिक, एकेडमिक, छात्र सुविधाओं, आदि के नार्म्स ए0आई0सी0टी0ई0 के अनुरूप ही होंगे ।

ह0/–
(संजीव कुमार शर्मा)
अनुसचिव ।

शासनादेश संख्या 526/xxiv(8)/2005-59/2004 दिनांक का
परिशिष्ट–4

समय सारिणी

क्रम सं0	विवरण	अंतिम तिथि
1	विज्ञापन का प्रकाशन	माह दिसम्बर में ।
2	आवेदन पत्र का विकल्प एवं उसे जमा करने की तिथि ।	23 दिसम्बर तक
3	आवेदन पत्रों की स्क्रीनिंग (भूमि एवं भवन तथा वित्तीय प्रास्थिति का मौलिक अभिलेखों के आधार पर)	31 दिसम्बर तक ।
4	ए0ओ0सी0 निर्गत किये जाने के संबंध में निदेशक की संस्तुति उत्तरांचल सरकार को भेजा जाना ।	15 फरवरी तक ।
5	उत्तरांचल शासन द्वारा ए0ओ0सी0प्रमाण पत्र निर्गत किया जाना	05 फरवरी तक ।
6	उत्तरांचल शासन द्वारा निर्गत एन0ओ0सी. के आधार पर निदेशक प्राविधिक शिक्षा उत्तरांचल द्वारा आवेदक को जारी किये जाने के फलस्वरूप आवेदक को Letter of Intent/rejection (इच्छा पत्र) निर्धारित निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क तथा संयुक्त एफ0डी0आर0 उत्तरांचल प्राविधिक शिक्षा परिषद को प्रस्तुत करना ।	20 फरवरी तक ।
7	यदि आवेदक को Letter of Intent/rejection (इच्छा पत्र) निर्गत नहीं किया गया तो उत्तरांचल शासन में अपील किया जाना ।	10 फरवरी तक ।
8	आवेदक द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त अपील पर उत्तरांचल शासन के निर्णय पर यदि Letter of Intent/rejection (इच्छा पत्र) निदेशक प्राविधिक शिक्षा द्वारा निर्गत किया जाता है तो उपरोक्त क्रम0संख्या 6 पर अंकित कार्यवाही आवेदक द्वारा की जानी होगी।	20 फरवरी तक । अथवा निदेशक प्राविधिक शिक्षा द्वारा निर्धारित तिथि ।

9	संस्थान/संस्था का निरीक्षण(भूमि, उपकरणों एवं वित्तीय प्रास्थिति का भौतिक सत्यापन)	28 फरवरी तक ।
10	राज्य स्तरीय समिति की संस्तुति को ए0आइ0सी0टी0ई0/फार्मेसी काउंसिल आफ इण्डिया नई दिल्ली/काउंसिल आफ आर्किटैक्चर, नई दिल्ली को भेजा जाना ।	20 मार्च तक ।
11	उत्तरांचल प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्धता का पत्र निर्गत किया जाना ।	30 मई तक ।

ह0/–
(संजीव कुमार शर्मा)
अनुसचिव ।

उत्तरांचल शासन
मानव संसाधन विकास विभाग
संख्या–126/प्रा0शि0/2004
देहरादून दिनांक : 29 मार्च 2004
कार्यालय ज्ञाप

एत्दद्वारा उत्तरांचल में स्थित तकनीकी प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रचलित पाठ्यक्रमों के अनुमोदन नये पाठ्यक्रमों को प्रारंभ करने हेतु मान्यता प्राप्त प्रवेश क्षमता के अनुमोदन निरीक्षण एवं सम्बद्धीकरण हेतु राज्य कमेटी का निम्नवत् गठन किया जाता है।

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, प्राविधिक शिक्षा उत्तरांचल शासन – अध्यक्ष
2. अभातशिप के क्षेत्रीय अधिकारी/उनके नामिनी –सदस्य
3. राज्य सरकार के द्वारा नामित राज्य अथवा राज्य के बाहर से विषय विशेषज्ञ – सदस्य
4. राज्य सरकार के द्वारा नामित राज्य अथवा राज्य के बाहर से विषय विशेषज्ञ (राज्य के बाहर से कोई नामांकन) – सदस्य
5. निदेशक प्राविधिक शिक्षा उत्तरांचल – सदस्य सचिव ।

ह0/
एम0 रामचन्द्रन
अपर मुख्य सचिव।

संख्या– /प्रा0शि0/2004/तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव उत्तरांचल शासन ।

2– संबंधित सदस्यगण ।

3– क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, लक्ष्मणबाग कानपुर ।

4– निदेशक, प्राविधिक शिक्षा उत्तरांचल श्रीनगर गढ़वाल ।

5– कुल सचिव, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रूड़की को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृप्या उक्त गठित राज्य स्तरीय कमेटी के क्रमांक–3 के संबंध में एक विषय विशेषज्ञ सदस्य रूप में नामित किये जाने हेतु नाम उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।

6– गार्ड फाइल ।

आज्ञा से
ह0/
(स्नेहलता अग्रवाल)
अपर सचिव ।

———————————————